कार्यक्रम उद्धेश्य श्रृंखला
प्रोब्स / 137 / 2010

मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा-निर्देश

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

जून, 2010

प्रकाशन श्रृंखला की सूची

01.	शहरी प्रदूषण नियंत्रण श्रृंखला (सी.यू.पी.एस.)
02.	कार्यक्रम उद्देश्य श्रृंखला (पी.आर.ओ.बी.ई.एस.)
03.	विस्तृत उद्योग दस्तावेज श्रृंखला (सी.ओ.आई.एन.डी.एस.)
04.	नदी के बेसिन संबंधी मूल्यांकन एवं विकास अध्ययन (ए.डी.एस.ओ.आर.बी.एस.)
05.	तटीय प्रदूषण नियंत्रण श्रृंखला (सी.ओ.पी.ओ.सी.एस.)
06.	प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक तकनीक श्रृंखला (एल.ए.टी.एस.)
07.	भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधन कॉनिटरिंग श्रृंखला (निनार्स)
08.	राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता श्रृंखला (एन.ए.ए.क्यू.एम.एस.)
09.	परिस्थितिकीय प्रभाव मूल्यांकन श्रृंखला (ई.आई.ए.एस.)
10.	प्रदूषण नियंत्रण कानून श्रृंखला (पी.सी.एल.एस.)
11.	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला (एच.ए.जेड.डब्ल्यू.ए.एम.एस.)
12.	संसाधन पुनः साइक्लिंग श्रृंखला (आर.ई.आर.ई.एस.)
13.	भू–जल गुणवत्ता श्रृंखला (जी.डब्ल्यू.क्यू.एस.)
14.	स्वच्छ तकनीक एवं प्रदूषण की रोकथाम पर सूचना मैनूअल (इसपैक्ट्स)
15.	पर्यावरणीय मैपिंग एवं योजना श्रृंखला (ई.एस.ए.पी.एस)
16.	ट्रेस ओरगैनिक श्रृंखला (टीस)
17.	'परिवेशी' समाचार पत्रक

कार्यक्रम उद्धेश्य श्रृंखला
प्रोब्स / 137 / 2010

मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा-निर्देश

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली – 110032
Website: www.cpcb.nic.in
e-mail: cpcb@nic.in

June, 2010

के.प्र.नि.बो. 200 प्रतियाँ, 2010

श्री जे.एस. कम्योत्रा, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
की ओर से जन सम्पर्क प्रभाग द्वारा प्रकाशित

प्रो० स. प्र. गौतम
अध्यक्ष
Prof. S.P. Gautam
Chairman

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(भारत सरकार का संगठन)
पर्यावरण एवं वन मंत्रलय
Central Pollution Control Board
(A Govt. of India Organisation)
Ministry of Environment & Forests
Phone : 22304948 / 22307233

प्राक्कथन

भारत में मूर्ति पूजा प्राचीन काल से की जाती रही है। विनायक चतुर्थी, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा, इत्यादि जैसे त्यौहारों पर जल निकायों जैसे नदीयों, झीलों, तालाबों, नदी के मुहानों, खुले तटीय क्षेत्रों तथ कुओं में मूर्ति विसर्जन की प्रथा रही है। इसके परिणामस्वरूप होने वाला जलाशयों का प्रदूषण चिंता का विषय है और इस संबंध में जन हित संबंधी न्यायालय में भी प्रकरण सुने जाते रह हैं। मूर्ति बनाने के दौरान सिल्टिंग के अतिरिक्त, मूर्तियों में प्रयोग किये गए विषाक्त रसायनों के परिणामस्वरूप जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के निर्देशों के पालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्यौहारों उत्सवों के दौरान मूर्ति और अन्य पूजन सामग्री के जल निकायों में विसर्जन के लिए दिशा–निर्देश बनाए हैं।

आशा की जाती है कि ये दिशा–निर्देश संबंधित ऐजेन्सियों को स्वच्छता बनाए रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण की कार्य योजना बनाने में सहायक होंगे।

स.प्र.गौतम

'Parivesh Bhawan' C.B.D.-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032
Fax : 22304948 / 22307078 email : cpch@alpha.nic.in
Website : http://www.cpcb.nic.in

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
1.0	पृष्ठभूमि	01
2.0	दिशा–निर्देश	04
2.1	मूर्ति विसर्जन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश	04
2.2	स्थानीय निकायों / प्राधिकारियों हेतु सामान्य दिशा–निर्देश	05
2.3	झीलों में मूर्ति विसर्जन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश	06
2.4	नदीयों में मूर्ति विसर्जन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश	06
2.5	समुन्द्र में मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश	07
3.0	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं प्रदूषण नियंत्रण समितियों की भूमिका	07
	अनुबंध – क	08
	अनुबंध – ख	09

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 भारत में मूर्ति विसर्जन की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। रहा है। पहले देवी–देवताओं के पूजन के लिए सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी, नारियल, पान के पत्तों तथा नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। चिकनी मिट्टी की मूर्तियों बनाई जाती थी एवं उन्हें प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी से रंगा जाता था। धार्मिक ग्रथों एवं कर्मकाण्डों में प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझाने का प्रयत्न किया जाता है। सदियों से इसलिए वह पूजनीय रहा है। भगवतगीता (9.26) में यह कहा गया है कि :

'पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भकत्य प्रयाचचाती तद्हम भक्त यूपाहरूतम आसनामी प्रयातात्मनाहा''

आज–कल मूर्तियों पर पॉलिश करने एवं उनकी सजावट में धातुओं, आभूषणों, तैलीय पदार्थों, सिंथेटिक रंगों, रसायनों का उपयोग किया जाता है। जब इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है तब हमारा जलीय तथा आस–पास का पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अतः मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने की शीघ्रति–शीघ्र आवश्यकता है।

इस दौरान मूर्तियों तथा संबंधित वस्तुओं के जल निकायों में विसर्जन तथा जल प्रदूषण रोकने के लिए मुम्बई के माननीय उच्च न्यायालय में जनहित रिट याचिका संख्या ''पी. आई.एल./डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 1325/2003'', दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश देकर रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया।

1.2 माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के दिशा–निर्देश

'पी.आई.एल./डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 1325/2003–जनहित मंच बनाम महाराष्ट्र एवं ओ.आर.एस. के मामले में मुम्बई के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.7.2008 के अपने आदेश में केन्द्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए–

''हम यह आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार मूर्ति विसर्जन दिशा–निर्देश बनाने पर विचार करेगी एवं जल निकायों के प्रदूषण और इससे जुड़े मामलों पर भी विचार करेगी। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें दोनों इस पर शीघ्र विचार करेंगे

क्योंकि प्रदूषण के विषय पर गँवाया गया समय आगे चलकर राष्ट्र के पर्यावरण के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है''

1.3 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड के आदेश सख्या ए–22011/1/10–सोम, 10 फरवरी, 2009 द्वारा एक समिति का गठन किया, इस संदर्भ में अनुबंध(क) संलग्न है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा अब तक की गई पहल अनुबंध ख के रूप मे संलग्न है।

1.4 समिति की बैठकें / दौरा

1.4.1 समिति की पहली बैठक 2 अप्रैल, 2009 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली में हुई। बैठक के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

(i) मूर्ति विसर्जन हेतु कुछ पृक्षक क्षेत्रों की पहचान करने और मूर्तियां एवं अन्य पूजा सामग्री को जगह इकट्ठा करने के लिए जल की सतह के नीचे बैरिकेड / कृत्रिम लाइनर बनाऐ जाने की आवश्यकता हैं। ऐसा करने के पश्चात लाइनरों को बिना किसी कठिनाई के हटाया जा सकता है तथा मूर्ति विसर्जन से उत्पन्न अपशिष्ट को वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप विनिर्धारित स्थल पर निपटाया जा सकता है।

(ii) अपेक्षानुसार पर्यावरण अनुकूल रंगों की उपलब्धता जानने की आवश्कता है। पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पर्यावरण अनुकूल रंगों की उपलब्धता पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

(iii) पूजा के प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। जैसा कि पुराने धार्मिक ग्रंथों में लिखा है।

(iv) पेय जल स्रोत संदूषण को रोकने के लिए नदी धारा का वर्गीकरण अपेक्षित है।

(v) पूजा तथा मूर्ति विसर्जन के सभी कार्यकलापों के आरंभ होने पहले प्रति वर्ष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित है।

1.4.2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का दौरा

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने 5 सितम्बर, 2009 में मूर्ति विसर्जन के लिए उपयोग किये जाने वाले घाटों के मूल्यांकन तथा मूर्तिकारों से बातचीत एवं इस मामले में उनका विचार जानने के लिए कोलकाता का दौरा किया। दौरे के पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संबंधित लोगों से हुई चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

(i) इस बात पर सहमति हुई कि पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सीसा रहित रंगों की उपलब्धता एवं प्राकृतिक रंगों के प्रयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा

(ii) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एन.ई.पी.)–2006 में दिये गए तीन आर सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल मूर्ति विसर्जन हेतु निम्नलिखित विषयों पर सहमति जताई गई :–

- दुर्गा प्रतिमा या कोई अन्य प्रतिमा प्राकृतिक वस्तुओं से बनी होनी चाहिए।
- विसर्जन की अनुमति स्थानीय प्राधिकारियों, नगरपालिका, निकायों, पुलिस इत्यादि के नियंत्रण वाले क्षेत्रों जो विशेषकर इस प्रयोजन के लिए है, क्षेत्रों में ही होना चाहिए।
- विसर्जन से पूर्व, फूल, पत्तियों और नकली आभूषणों को प्रतिमा से निकाल लेना चाहिए तथा एक निश्चित अवधि में मूर्ति के ढाँचे और अपशिष्ट को हटाने एवं नदी की सतह की सफाई का दायित्व नगर पालिका का होना चाहिए।

1.4.3 मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली में दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 को हुई दूसरी बैठक के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

(i) मूर्ति निर्माण, उसकी पूजा एवं विसर्जन से संबंधित कार्यकलाप सही मायने में धार्मिक अभिव्यक्ति और देवी–देवताओं के अस्तित्व को दर्शाने वाले होने चाहिए

एवं मूर्ति निर्माण में अधिकतम प्राकृतिक सामग्रियों के प्रयोग किया जाना चाहिए जैसा कि पुराने धार्मिक ग्रंथों में लिखा है।

(ii) पूजन की सभी सामग्री जैसे नारियल, सुपारी, धागा, पत्तियों, फल, फूल, दूध, दही, गंगाजल इत्यादि यहाँ त कि प्रसाद वितरण के लिए किसी धातु से निर्मित चम्मच और पेपर प्लेटों के स्थ , पर आम के पत्तों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(iii) मूर्ति विसर्जन के दिशा–निर्देशों की पृष्ठभूमि में गणेश जी की जन्म कथा दी जा सकती है। जिसमें प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु, जिसमें मृदा एवं स्वेट भी शामिल है, के महत्व और मूल्य को दर्शाया गया है, विशेषकर उस किस्से को दोहराया जाना चाहिए जिसमें गणेश जी के जन्म में स्वेट का उपयोग हुआ था।

(iv) वास्तविक पूजा को प्रोत्साहन देना चाहिए एवं दिखावे को हतोत्साहित करना चाहिए।

(v) मूर्तियों देवी देवताओं तथा धार्मिक ग्रंथों में कही गई बातों की अभिव्यक्ति है अतः वे विषाक्त सामग्रियों से निर्मित नहीं होनी चाहिए। प्राचीन काल में भी पूजा में प्रयोग की सामग्री एवं मूर्ति निर्माण की सामग्री प्राकृतिक होती थी।

2.0 दिशा–निर्देश

2.1 मूर्ति विसर्जन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

(i) जैसा कि पवित्र ग्रंथों में लिखा है, मूर्तियाँ प्राकृतिक सामग्री से निर्मित होनी चाहिए। मूर्ति निर्माण में परम्परागत मृदा, बढ़ावा देना चाहिए न कि बेक्ड मृदा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, को।

(ii) मूर्तियों के रंग–रोगन को हतोत्साहित करना चाहिए। यदि मूर्तियों को रंगा जाना हो तो जल में घुलने योग्य एवं अविषाक्त प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूर्तियों को रंगने हेतु विषाक्त एवं गैर–जैव निम्नीकरण योग्य रसायनिक रंगों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

(iii) पूजन सामग्री जैसे पुष्प, वस्त्र, सजावट की सामग्री (कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित) इत्यादि को विसर्जन से पूर्व हटा देना चाहिए। जैव–निम्नीकरण योग्य सामग्रियों को पुनः चक्रित या कम्पोस्टिंग के लिए अलग एकत्रित कर लिया जाना चाहिए। गैर–जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को कचरा निपटान स्थल पर निपटान हेतु अलग एकत्रित कर लिया जाना चाहिए। कपड़ों को स्थानीय अनाथालयों में भेजा जा सकता है।

(iv) जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनता को पवित्र जल निकायों में मूर्ति विसर्जन के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

(v) मूर्ति विसर्जन क्षेत्र के चारों ओर एक घेरा बना देना चाहिए। सिंथेटिक लाइनर को पहले ही नीचे की तरफ लगा देना चाहिए। कथित लाइनर को मूर्ति विसर्जन समारोह के समाप्त होने के उपरांत हटाया जाता है ताकि मूर्ति के अवशेषों को तट पर लाया जा सके। यदि इनमें बाँस या लकड़ियाँ हों तो इनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। मृदा इत्यादि को निपटान के उद्देश्य से कचरा निपटान स्थल पर ले जाया जा सकता है।

2.2 स्थानीय निकायों / प्राधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश

(i) एक स्थान पर भीड़ की समस्या से बचने एवं जल निकायों पर प्रदूषण भार कम करने की दृष्टि से भी स्थानीय निकाय / जिला प्राधिकारी सामान्यतः पर्याप्त संख्या में विसर्जन स्थलों की पहचान के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे स्थलों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है तथा मूर्ति विसर्जन आदि कार्यकलापों से एक महीने पहले जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन एवं पूजा समितियों को ऐसे निर्दिष्ट स्थलों सूचना दे दी जानी चाहिए। विसर्जन घाटों की पहचान के लिए सभी संबंधित नदी प्राधिकरण, पोर्ट, प्राधिकरण, जल आपूर्ति बोर्ड सिंचाई प्रभाग इत्यादि से परामर्श लेना चाहिए।

(ii) पुलिस, गैर–सरकारी संगठनों, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूजा समितियों के प्रतिनिधि एवं सभी संबंधित का एक समन्वय समिति बनाई जा सकती है ताकि जनता को मूर्ति विसर्जन के दौरान जल निकायों पर न्यूनतम प्रभाव के संबंध में मार्गदर्शित किया जा सके।

(iii) मूर्ति विसर्जन स्थल पर पूजा में प्रयोग किए गए पुष्प, वस्त्र, सजावट की वस्तुऐं इत्यादि उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

(iv) नदीयों, झीलों, बीचें इत्यादि में विसर्जन हेतु निर्दिष्ट स्थलों पर मूर्ति विसर्जन के 48 घंटों के अंदर बची हुई सामग्री।

(v) यदि नदीयों एवं झीलों में मूर्ति विसर्जन किया जाना हो तो इसके लिए मिट्टी के अस्थायी परिसीमित तालाबों की वरवस्था की जानी चाहिए। विसर्जन के पश्चात रंग एवं गंदलापन जॉच लेने के बाद प्लावी जल को नदी, तालाब, एवं झील, जिसमें भी विसर्जन किया गया हो, प्रवाहित होने दिया जा सकता है। अस्थायी परिसीमित तालाबों में चूना मिलाया जा सकता है।

(vi) सिर्फ मूर्तियों अपितु उत्सव के दौरान उपयोग में लाई गई अन्य सजावट की सामग्री के रंग–रोगन के विषाक्त घटकों के कुप्रभाव की जानकारी देने के अभियान में पूजा आयोजकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विनिर्दिष्ट पत्रक एवं पोस्टर बनाए जा सकते हैं एवं इन पोस्टरों को लगाने एवं पत्रकों को पुजारियों में वितरित करने हेतु पूजा समितियों को प्रेरित किया जा सकता है।

2.3 झीलों में मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश

झीलों और तालाबों में मूर्ति विसर्जन की स्थिति में सभी फूल, पत्तियों एवं मूर्ति के कली जेवरातों को हटा देना चाहिए एवं नीचे की तरफ विस्थापित करने योग्य संश्लेषित लाइनर के प्रयोग से मूर्तियों को तालाब के किसी कोने में विसर्जित किया जा सकता है। विसर्जन के पश्चात मूर्तियों के अवशेषों के साथ लाइनर को निकाला जा सकता है और ठोस कणों को तह में बिठाने हेतु तालाब के जल में चूना मिलाना चाहिए। गाद को पृथक करने का काम बाद में हो सकता है।

2.4 नदीयों में मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश

नदी के तट के साथ मिट्टी के बॉध वाले अस्थायी तालाब बनाए जाने चाहिए। तालाब के निचले हिस्से में हटाने योग्य संश्लेषित लाइनर पहले ही स्थापित कर दिया जाना

चाहिए। मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के अंदर उस स्थल से मूर्ति के अवशेषों सहित कथित लाइनर हटा लिया जाना चाहिए।

2.5 समुद्र मे मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश

समुद्र में मुर्ति विसर्जन के संबंध में निम्न भाटा स्तर एवं उच्च ज्वार स्तर के बीच (गहराई पर ध्यान दिये बिना) विसर्जन किया जाना चाहिए। निम्न भाटा स्तर एवं उच्च ज्वार स्तर की पहचान पहले ही कर ली जानी चाहिए। विसर्जन के समय पर्यवेक्षण के लिए सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपस्करों से लैस सुरक्षा कर्मी, होम गार्ड तैनात किये जाने चाहिए।

3.0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो एवं प्रदूषण नियंत्रण समितियों की भूमिका

(i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को तीन चरणों अर्थात विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात जल निकाय का जल गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संबंध में श्रेणी–1 शहरों को (एक लाख से अधिक जनसंख्या) प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सैम्पलिंग स्थल निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि जल गुणवत्ता का उपयुक्त मूल्यांकन हो सके। जल गुणवत्ता निर्धारण के लिए भौतिक–रासायनिक पैरामीटरों जैसे पी.एच., घुलित आक्सीजन, जैव–आक्सीजन मांग, कनडक्टिविटी, गंदलापन, टी.डी.एस., कुछ ठोस कण और धातु (क्रोमियम, लैड, जिंक एवं कॉपर) को विश्लेषित इसके कर परिणामों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जा सकता है।

(ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति स्थानीय प्रशासन को इस प्रयोजन हेतु जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामग्री तैयार क न में मददगार होगी।

अनुबंध – क

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"परिवेश भवन"
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 110032

संख्या क – 22011/1/09 – मोनि. 10 फरवरी, 2009

कार्यालय आदेश

विषय – मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा–निर्देश

1)	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	– अध्यक्ष
2)	सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड	– सदस्य
3)	महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	– सदस्य
4)	डा. उज्जल मुखर्जी पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के	– सदस्य
5)	श्री विश्वजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल के पर्यावरण विभाग के मुख्य विधि अधिकारी	– सदस्य
6)	श्री आर.ए. जिंदल, अपर निदेशक	– सदस्य
7)	डा. डी.डी. बसु, वरिष्ठ वैज्ञानिक	– संयोजक

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं –

- मूर्ति विसर्जन हेतु राष्ट्रीय दिशा–निर्देश तैयार करना।
- समिति का कार्यकाल तीन महीनों का होगा।
- अधिकारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भारत सरकार के नियमों के अनुसार देय होगा

ह0
(जे.एस.कम्योत्रा)
सदस्य सचिव

सेवा में,

सभी संबंधित/संलग्न सूची के अनुसार

अनुबंध – ख

पूर्व में की गई पहल

- पहले की गई पहल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दशहरा के दौरान हुगली नदी में मूर्ति विसर्जन के दुष्प्रभाव का अध्ययन किया तथा इसके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट सी.ओ. पी. ओ.सी.एस श्रंखला (संदर्भ सी.ओ.पी. ओ.सी.एस./12/1997–98) प्रकाशित की जिसमें यह संस्तुत किया गया कि केवल गैर–जैवनिम्नकरण योग्य पदार्थों जैसे रंगों तथा पन्से को ही रोका जाए और ऐसे पदार्थ जोकि पर्यावरण अनुकूल/जैव–निम्नीकरण योग्य हो केवल उन्हें ही मूर्ति–निर्माण में उपयोग–बढ़ावा दिया जाए।

- प्रोब्स श्रंखला (संदर्भ प्रोब्स/102/205–06) में धार्मिक स्थलों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशानिर्देश विकसित किये।

- गणेश उत्सव को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने हेतु महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड ने एक व्यवहार कोर्ड भी विकसित किया है।

- पश्चिम बंगाल के पर्यावरण ने आदेश संख्या ई.एन./906/टी.IV-1/003/200, के 22 अप्रैल, 2008 द्वारा एक समिति का गठन किया जिसमें विसर्जन के कारण पश्चिम बंगाल में मूर्ति के पेन्टो से होने वाले प्रदूषण पर बल दिया गया और कई संस्तुतियाँ दी।

कोपोक्स श्रृंखला (संदर्भ कोपोक्स / 12 / 1997–98)

सिफारिशें :

1 ऐसी विषालु धातुओं की मात्रा का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया, जो विशिष्ट उद्धेश्य के लिए प्रयोग की गई सभी रंगीन सामग्री के पहले से ही निर्धारित संयोजन में मूर्तियों के पेंटिंग के लिए प्रयोग किये गये रंगों के माध्यम से प्रकृति को संदूषित करते हैं। इस अध्ययन में रंगों की रूटिंग अर्थात् स्रोतों से आर्टीशनों तक रगों के पंहुचने का रास्ता और निर्माता भी निरूपित किये जाये।

2. रंगों के विभेद को सामान्य तौर पर "येलो पुरी हल्का" "येलो पुरी भारी" के रूप में जाना जाता है। "रेड ओक्साइड" और "रेड लैड" का उद्धेश्य वर्कशाप के माध्यम से रंग निर्माताओं और मूर्ति कारों साथ होता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2009 में मूर्ति बनाने के मौसम के रूप में निर्धारित किया गया था अर्थात वैकल्पिक रूप से यह अगस्त, 2009 तक निर्धारित किया जा सकता है।

3. केवल मूर्तियों को ही नहीं, बल्कि उत्सव के दौरान प्रयोग की जाने वाली अन्य सजावट की सामग्री को भी रंगीन सामग्री के विषालु तत्वों के बुरे प्रभाव पर सभी आयोजकों को एक सशक्त अभियान में शामिल किया जाए। विशिष्ट अभियान तैयार किया जाए तथा पूजा के आयोजकों को अपने पंडालों में अन्य प्रदर्शनीय सामग्री के साथ–साथ उक्त संदेशों को भी प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए।

4 विसर्जन के अलावा लैड युक्त पेन्टस के साथ–साथ विभिन्न स्रोतों से जल निकायों के संभावित संदूषण को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि समस्या का निदान स्रोत पर ही किया जाए। रिपोर्ट में दस्तावेज के रूप में यह स्वीकारोक्ति है कि यू. एस.ई.पी.ए सिद्धान्तों के अनुसार सीसा को प्रयोग प्रायः पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, चूंकि इसे अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तथा विशेष तौर से व्यक्तियों व बच्चे पर भी इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव डालने वाला माना गया है। भारत के बेंगलौर शहर में नवम्बर, 1999 में एक सम्मेलन के दौरान इण्टरनेशनल कॉन्फ्रेंश ओन लैड पॉइजनिंग की कार्यकारी समिति ने 'राष्ट्रीय नीति तथा कार्यान्वयन में कुछ समय पहले यह सिफारिश कि केन्द्र सरकार को इस विषय में उपयुक्त कदम उठाने चाहिए और राज्य के पर्यावरण विभाग को उपयुक्त केन्द्र सरकार की एजेन्सियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए अनुरोध किया जाए। संबंधित विस्तृत दस्तावेज इसके साथ संलग्न है।

के.प्र.नि.बो. / प्रोब्स / 102 / 2005–06

मूर्ति विसर्जन पर सिफारिशे

हमारे देश में विनायक चतुर्थी तथा दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर विभिन्न जल निकायों जैसे नदीयों, झीलें, तालाब, नदी के मुहाने, खुले समुद्र तट, कुऐं आदि में मूर्ति विसर्जन की परम्परा रही है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला जल निकायों का प्रदूषण चिंता का विषय है और इस संबंध में जन हित संबंधी मुकद्दमें भी दायर किये जाते रहे हैं। सिल्टिंग के अतिरिक्त, मूर्ति निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले विषाक्त रसायन घुल हो जाते हैं एवं जल प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न करते हैं। मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल गुणवत्ता ह्रास के मूल्यांकन के संबंध में किये गए अध्ययन से पता चलता है कि यह जल गुणवत्ता ह्रास कन्डक्टिविटी, जैव–रसायन आक्सीजन मांग एवं भारी धातुओं की सान्द्रता के कारण होता है।

मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई पहल एवं बंगलौर, दिल्ली एवं कोलकाता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गए अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित दिशा निर्देश सुझाए गये हैं :

(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन चरणों विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात जल निकाय का जल गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संबंध में श्रेणी 1 शहर को (एक लाख से अधिक जनसंख्या) प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सैम्पलिंग स्थल निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि जल गुणवत्ता का उपयुक्त मूल्यांकन हो सके। जल गुणवत्ता निर्धारण के लिए भौतिक–रासायनिक पैरामीटरों जैस पी.एच., घुलित आक्सीजन, जैव–रासायनिक आक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कनडक्टिविटी, गंदलापन, टी.डी.एस., कुछ ठोस कण और धातु (क्रोमियम, कैडमियम, निकल, आइरन, लेंड, जिंक एवं कॉपर) को विश्लेषित किया जा सकता है।

(ii) एक ही स्थल पर अत्यधिक दबाव से बचने के लिए एवं जल निकायों पर प्रदूषण भार कम करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त संख्या में निर्दिष्ट विसर्जन स्थल की पहचान की दिशा में काफी हद तक प्रयास किये जा चुके हैं। ऐसे स्थलों को अधिसूचित किया जाना चाहिए एवं प्रति वर्ष ऐसे त्योहारों से कम से कम एक माह पूर्व पर्याप्त प्रचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) मूर्ति निर्माण में पकाई हुई चिकनी मिट्टी की तुलना में परम्परागत रूप से प्रयोग की जाने वाली मिट्टी का उपयोग उपयुक्त होगा। रंगी हुई मूर्तियों के प्रयोग को बढ़ावा नहीं

देना चाहिए। रंगी हुई मूर्तियों के प्रयोग की स्थिति में जल में घुलनशील एवं गैर विषाक्त प्राकृतिक रंगो का प्रयोग किया जाना चाहिए। विषाक्त एवं रासायनिक रंगों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों में प्रयोग किये जाने वाले एवं फारमारयूटिकल उद्योग में स्वीकृत प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(iv) समुद्र में मूर्ति विसर्जन की स्थिति में विसर्जन निम्न भाटा स्तर से पॉच सौ मीटर अधिक ऊँचाई पर किया जाना चाहिए। निम्न भाटा स्तर के विषय में सूचना पहले दी जानी चाहिए। साथ ही, विसर्जन के पर्यवेक्षण हेतु सुरक्षा कर्मी/होम गार्ड सहित उपयुक्त मोटर बोट तैनात किये जाने चाहिए।

(v) पुलिस, गैर–सरकारी संगठनों, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूजा समितियो के प्रतिनिधि एवं सभी संबंधितों की एक समन्वय समिति बनाई जा सकती है ताकि जनता को मूर्ति विसर्जन के दौरान जल निकायों पर न्यूनतम प्रभाव के संबंध में मार्गदर्शित किया जा सके।

(vi) यदि नदीयों एवं झीलों में मूर्ति विसर्जन किया जाना हो तो इसके लिए मिट्टी के अस्थायी परिसीमित तालाबों की व्यवस्था की जानी चाहिए। विसर्जन के पश्चात रंग एवं गंदलापन जॉच लेने के बाद प्लावी जल को नदी, तालाब एवं झील, जिसमें भी विसर्जन किया गया हो, प्रवाहित होने दिया जा सकता है। यदि आवश्यक हो निपटान किये जाने से पूर्व उपचार भी किया जाना चाहिए।

(vii) विसर्जन से पूर्व, पुष्प, सजावट की सामग्री (कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित) इत्यादि हटा दी जानी चाहिए। इस सामग्री को यदि वह जैव–निम्नीकरण योग्य है तो उसे पुनः चकित एवं कम्पोस्टिंग किया जाए। यदि नहीं तो निपटान हेतु पृथक–पृथक एकत्रित कर लेना चाहिए।

(viii) विसर्जन के 24 घंटे के अंदर अवशेषों को (नदीयों झीलों, समुद्र तटों इत्यादि के निकट मौजूद) को स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित कर उसका निपटान कर देना चाहिए।

(ix) विसर्जन के स्थल पर ठोस अपशिष्टों को जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(x) लोगों को छोटे आकार की मूर्तियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(xi) मीडिया के माध्यम से लोगों को पवित्र जल निकायों पर ऐसे कार्यकलापों के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना चाहिए तथा उन्हें "कार सेवा" अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विपरित प्रभावों को सीमित किया जा सके।

गणेश उत्सव

को पर्यावरणीय अनुकूल मनाने के लिए सुझायी गई व्यवहार संहिता

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कल्पतरू पाइन्ट, साईन (ई) मुम्बई – 400 022

टेलीफोन: 2401 0237 / 2402 0781 फैक्स: 2402 4068

ई–मेल: mpcb@mah.nic.in

वेबसाइट: http://mpcb.mah.nic.in

महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड

गणेश उत्सव को पर्यावरणीय अनुकूल मनाने के लिए सुझायी गई व्यवहार संहिता

01 पृष्ठभूति

गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र राज्य में व्यापक रूप से तथा एक सामुदायिक गतिविधि के रूप में पारम्परिक ढंग से मनाया जाता है। जब यह लोक मान्य तिलक द्वारा आरम्भ किया गया, उस समय इस उत्सव का मुख्य उद्धेश्य लोगों को एक साथ एकत्र करना तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन को आगे बढ़ाना था।

अब कुछ समय से गणेश उत्सव के मनाने के तौर तरीको में बदलाव आने के साथ–साथ जनता के सहयोग में भी परिवर्तन आया है। इन गतिविधियों की वजह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और शोर प्रदूषण इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया हैं कि हम इस उत्सव को मनाते समय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखे तथा प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण की ओर भी ध्यान दें।

पारंपरिक उत्सवों, त्यौहारों को मनानें/पर्यावरणीय संरक्षण इत्यादि के संबंध में यहां बहुत से कानून मौजूद हैं तथापि ये विधान बहुत अधिक सफल तभी हो सकते हैं, यदि ये सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के माध्यम से जनता द्वारा समर्तित हों। इसलिए हमने एक पर्यावरणीय अनुकूल ढंग में गणेश उत्सव को मनाने की शुरूआत करने के लिए अनेकों दिशा–निर्देशा प्रस्तावित किये हैं। हम सभी संबंधितों से इन दिशा7निर्देशें को अपनाने तथा पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं।

02. दिशा–निर्देशों तथा सिफारिशें

2.1 गणेश जी की प्रतिमाएं जल निकायों में विसर्जित की जाती हैं। ऐसे निकायों में शामिल है नदीयां, झीलें, पोण्डस, मुहाने खुले समुद्री मुहाने, कुएं इत्यादि। परिणामस्वरूप ऐसे जल निकायों का प्रदूषण एक चिन्ता का विषय बन जाता है और जन हित याचिकाएं भी दायर की जाती हैं। मूर्ति बनाने में सिल्टिंग के अलावा विषालु रसायनों के प्रयोग से

विक्षालन बाहर निकलने तथा जल प्रदूषण की गम्भीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रतिमा विसर्जन की वजह से जल गुणवत्ता में ह्रास का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किये गये, जो व्यक्त करते हैं कि चालकता जैविक रासायनिक आक्सीजन माग तथा भारी धातुओं की सान्द्रणता के विषय में जल की गुणवत्ता ह्रसित हो जाती है।

2.2 दिशा–निर्देश तथा सिफारिशें

(i) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल गुणवत्ता मूल्यांकन शुरू करेगा। प्रारंभ में प्रथम श्रेणी के शहरों में (एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में) जल गुणवत्ता का प्रबोधन तीन स्तर पर किया जायेगा मूर्ति विसर्जन से पूर्व, मूर्ति विसर्जन के दौरान तथा विसर्जन के बाद जल निकाय के आकार को ध्यान में रखकर जल गुणवत्ता का एक निष्पक्ष प्रतिनिधी मूल्यांकन प्राप्त करने के कम में सेम्पलिंग के स्थानों की एक उपयुक्त संख्या निश्चित की जायेगी। जल गुणवत्ता अभिनिश्चत करने के लिए भौतिक–रासायनिक पैरामीटर्स जैसे पी.एच, घुलनशील आक्सीजन जैविक रासायनिक आक्सीजन मांग, रासायनिक आक्सीजन मांग, चालकता, टर्बीडिटी, कुल घुलनशील ठोस, कुल ठोस तथा धातुएं (कैडमियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, सीसा, जस्ता और कॉपर) विश्लेषित किए जाएगे। (कार्यवाही, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय उप–क्षेत्रीय कार्यालय)

(ii) सामान्यतः जल निकायों पर प्रदूषण भार कम करने के लिए भीड़–भाड़ रोकने तथा निर्धारित मूर्ति विसर्जन केन्द्रों की पर्याप्त संख्या का पता लगाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त प्रयास किये गये है। ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जाएं और प्रत्येक वर्ष अधिमान्तः ऐसे उत्सवों से एक माह पहले पर्याप्त प्रचार की व्यवस्था की जाये। (कार्यवाही : स्थानीय निकाय)

(iii) यह उचित होगा कि मूर्ति बनाने के लिए बेक्ड क्ले की बजाय पारंपरिक मिट्टी का प्रयोग किया जाए। मूर्तियों को पेन्टस से रंगना छोड़ दिया जाए। पेन्ट से रंगाई गई मूर्तियों के प्रयोग के मामले में जल में घुलनशील और गैर–विषालु

प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। विषालु तथा गैर–निम्नीकरण रासायनिक रंगों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए। फार्मास्यूटीकल्स में अनुज्ञापित तथा खाद्य उत्पादों में प्रयोग किये जाने वाले रंगों को वरियता दी जाए। (कार्यवाही : एन.जी.ओ. का उपभोक्त समूह)

(iv) समुद्र में मूर्ति विसर्जन के मामले में विसर्जन भाटा लाईन से 500 मीटर के बाहर किया जाए। भाटा लाईन को बहुत पहले सूचित किया जाए। सुरक्षा कर्मी / होम गार्डस युक्त उपयुक्त मोटर बोट्स मूर्ति विसर्जन की देख–रेख के लिए नियुक्त किए जाए। (कार्यवाही : स्थानीय निकाय)

(v) पंजीकृत गणेश उत्सव मण्डलों तथा श्रद्धालुओं को मूर्ति विसर्जन उपयुक्त स्थानों पर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिला परिषद / ग्राम पंचायत तथा स्थानीय निकाय विशिष्टतानुसार कृत्रिम पोण्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

(vi) श्रद्धालुओं और नागरिकों में जागृति पैदा करने के क्रम में स्थानीय निकाय को उत्सवों से पहले ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान करते समय ही मूर्तियों के विसर्जन अथवा पूजा सामग्री / निर्माल्य पर कृत्रिम पोण्ड अथवा निर्धारित स्थल पर ही करने की शर्त लगानी चाहिए।

(vii) जल गुणवत्ता के संरक्षण के क्रम में स्थान जैसे बांध के बैक वाटर्स से पेय जल स्रोत अथवा पीने के उद्धेश्यार्थ प्रयोग किया जा रहा कोल्हापुर किस्म की बांध धारा के बैक वार्टस को नकारा जाए।

(viii) मूर्तियां धातु (कांसा, चाँदी, सोना अथवा अन्य धातुओं) से बनाने को प्रोत्साहित करना ज्यादा उपयुक्त होगा, जो काफी लम्बे समय तक चलती रहेंगी और वही धातु की मूर्ति वर्षों तक प्रयोग में लाई जा सकती है।

(xi) जल निकायों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभावों के साथ विसर्जन करने में जनता को बताने के लिए पुलिस, गैर सरकारी संगठनों तथा धार्मिक समूहों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर एक समन्वय समिति गठित की जाए। (कार्यवाही: राज्य सरकार)

(x) नदीयों तथा झीलों में मूर्तियों को विसर्जन के मामले में पूजा में प्रयोग की गई सामग्री के निपटान सहित मूर्तियों के विसर्जन के उद्धेश्यार्थ अस्थायी परिसीमित पोण्डस / बन्दों का निर्माण करने की व्यवस्था की जाए। मूर्ति विसर्जन के पश्चात नदी जल / पोण्ड के जल को रंग और टर्बीडिटी का परीक्षण करने के पश्चात नदी / पोण्ड / झील में विसर्जित कर दिया जाएं। यदि अवश्यक हो तो विसर्जन से पूर्व उसे शोधित भी किया जाए। (कार्यवाही : स्थानीय निकाय)

(xi) विसर्जन से पहले पूजा की सामग्री जैसे फूल, वस्त्र (कपड़े) साज–सज्जा की सामग्री (प्लास्टिक और कागज से निर्मित) इत्यादि को निकाल कर अलग कर दिया जाए। ऐसी सामग्री को रिसाइक्लिंग अथवा कम्पोस्टिंग के लिए अलग–अलग कर लिया जाए, यदि वह गैर जैव निम्नीकृत हो, तो इसके बाद उसे निपटाया जाए। (कार्यवाही : गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, मीडिया)

(xii) मूर्तियां विसर्जन के 24 घण्टे के अन्दर बची हुई सामग्री (नदीयों, झीलों और समुद्र तट इत्यादि के समीप) स्थानीय निकायों को एकत्र करनी चाहिए और उसे निपटाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकायों को लागत वसूलनी चाहिए। (कार्यवाही : स्थानीय निकाय)

(xiii) मूर्ति विसर्जन स्थल पर ठोस अपशिष्टों के दहन की कतई अनुमति नहीं देनी चाहिए (कार्यवाही : पुलिस, मध्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(xiv) जनता को मूर्तियों का सबसे छोटा आकार तैयार करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। (कार्यवाही : गैर सरकारी संगठन)

(xv) मीडियों के माध्यम से जनता को पवित्र जल निकायों पर ऐसी गतिविधियों के बुरे प्रभावों के विषय में शिक्षित करना चाहिए तथा इन प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए "कार सेवा" किए जाने को प्रोत्साहित किया जाए। (कार्यवाही : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मीडिया, प्रचार विभाग, स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठन)

(आभार : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तकनीकी मार्गदर्शक सभार प्राप्त किया)

पर्यावरण विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार

जी.ब्लॉक, 2वीं मंजिल
राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता – 700001

स.एल.एन / 906 / टी.IV–1 / 003 / 2007 दिनांक: 22 अप्रैल, 2008

आदेश

1. पर्यावरण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले से ही सामाजिक समारोह से उत्पन्न विभिन्न पर्यावरणीय समारयाओं का पता लगा चुके हैं तथा सामाजिक समारोहों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भी कदम उठाये गए हैं।

2. यह भी पाया गया है कि मूर्ति निर्माण के दौरान सौन्दर्यकरण एवं आकर्षक सजावट के लिए कुछ रासायनिक रंग और गैर जैव–निम्नकरण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो जल निकायों में मूर्ति विसर्जन के पश्चात प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होते है।

3. अतः विभिन्न रटेक होल्डर्स के साथ बैठक करने के पश्चात् तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ विशिष्ट उद्धेश्यार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाए।

अ)	डा. रंजन चक्रवर्ती, अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्र, इण्डियन पेन्टर्स एसोशिएशन, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रिंटिंग इंजिनियरिंग विभाग, साल्ट लेक केम्पस, ब्लॉक–1, बी 8, सेक्टर III, कोलकाता–700098	सदस्य
आ)	प्रो. कृष्णा ज्योति गोस्वामी, जैव रसायन विभाग, रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, विवेकानन्द रसायन विज्ञान संस्थान, 99 सरत बोस रोड, कोलकाता – 700026	सदस्य

इ)	डा. अनिरूद्ध मुखोपध्याय, रीडर तथा प्रमुख, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, 34 बालीगंग, सरकुलर रोड, कोलकाता – 700025	सदस्य
ई)	प्रो. जयन्त बासु, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग फैकल्टी, कोलकाता विश्वविद्यालय, 26 / 1, रमेश मित्रा रोड, भू- तल, कोलकाता – 700025	सदस्य
ए)	पा. तरून रॉय, आर्टिस्ट, चन्दन नगर, हुगली	सदस्य
ऐ)	श्री श्यामल अधिकारी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
ओ)	डा. उज्जल मुखर्जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
औ)	श्री विश्वजीत मुखर्जी, मुख्य विधि अधिकारी, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य सयोजक

4. उपर्युक्त वर्णित समिति को यह अधिकार है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की इस विषय में सलाह ले सकती है और आवश्यकतानुसार पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों के मूर्ति निर्माताओं के साथ भी पारस्परिक गतिविधि कर सकती है।

यह समिति उपर्युक्त वर्णित विषय पर विस्तृत सिफारिश भी कर सकती है तथा स्टेक होल्डरों को इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाने के कार्यक्रम तैयार कर सकती है।

5. यह समिति 31 मई, 2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश से
हस्ताक्षरित
(एम.एल.मीणा)
प्रमुख सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार,
पर्यावरण विभाग

सं.ई.एन / 906 / टी–IV–1 / 003 / 2007 दिनांक: 22 अप्रैल, 2008

प्रतिलिपि अग्रेसित :

1. डा. रंजन चक्रवर्ती, अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्र, इण्डियन पेन्टस एसोशिएशन, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रिंटिंग इंजिनियरिंग विभाग, साल्ट लेक केम्पस, ब्लॉक–1, बी 8, सेक्टर III, कोलकाता–700098

2. प्रो. कृष्णा ज्योति गोस्वामी, जैव रसायन विभाग, रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, विवेकानन्द रसायन विज्ञान संस्थान, 99 सरत बोस रोड, कोलकाता – 700026

3. डा. अनिरूद्ध मुखोपध्याय, रीडर तथा प्रमुख, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, 34 बालीगंगे, सरकुलर रोड, कोलकाता – 700091

4. प्रो. जयन्त बासु, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग फैकल्टी, कोलकाता विश्वविद्यालय, 26 / 1, रमेश मित्रा रोड, भू–तल, कोलकाता – 700025

5. प्रो. तरून रॉय, आर्टिस्ट, चन्दन नगर, हुगली

6. श्री श्यामल अधिकारी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. डा. उज्जल मुखर्जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

8. श्री विश्वजीत मुखर्जी, मुख्य विधि अधिकारी, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

उप सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार
पर्यावरण विभाग

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रोब्स श्रृंखला के अधीन विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित कता है।

प्रोब्स / 116 / 2007	अरावली पहाड़ियों की पर्यावरणीय समस्या पर अध्ययन एवं पर्यावरण गुणवत्ता (अलवर जिला) पुनः स्थापित करने हेतू कार्य योजना तैयार करना।
प्रोब्स / 117 / 2007	थोक औषध विनिर्माण उद्योग में जल उपभोग हेतु दिशा–निर्देश
प्रोब्स / 118 / 2007	फ्यूजिटिव उत्सर्जनों का मूल्यांकन एवं सीमेन्ट विनिर्माण उद्योग में फ्यूजिटिव उत्सर्जनों के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय दिशा–निदेश का विकास
प्रोब्स / 119 / 2007	धूल पकल लेने वाले पौधें की प्रजातियों के माध्यम से परिवेशी वायु से परटिकुलेट कणों का फोटोरेमेडियेशन
प्रोब्स / 120 / 2007	कृषि आधारित लुग्दी एवं कागज लघु उद्योग मिलों में ब्लैक लिकर के उपचार हेतु लिग्निन हटाने की पद्धति की उपयुक्तता
प्रोब्स / 121 / 2008	गंध प्रदूषण एवं आई.टी.एस. नियंत्रण पर दिशा–निर्देश
प्रोब्स / 122 / 2008	पोलियर कोटेड बिटुमेन का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
प्रोब्स / 123 / 2008	मानव स्वास्थ्य जोखिम निर्धारित अध्ययन
प्रोब्स / 124 / 2008	नगरीय ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल
प्रोब्स / 125 / 2008	वायु क्रापिटंग के कारण परिवेशी शोर स्तर हेतु अपेक्षाऐं एवं प्रक्रिया
प्रोब्स / 126 / 2008	भारत के संबंध में राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन प्रोफाइल
प्रोब्स / 127 / 2008	स्थल अनुरूप कठोर मानक के विकास हेतु दिशा–निर्देश
प्रोब्स / 128 / 2008	क्लोरीन एवं उसके यौगिक के पर्यावरणीय प्रभाव का न्यूनीकरण
प्रोब्स / 129 / 2008	डिस्टिलरी में गंध की समस्या के मामलों की जाँच
प्रोब्स / 131 / 2009	पर्यावरण पर जैव निम्नीकरण योग्य प्लास्टिक्स का दुष्प्रभाव
प्रोब्स / 132 / 2009	दिल्ली के एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक अपशिष्ट और उसके प्रबंधन का मूल्यांकन
प्रोब्स / 133 / 2009	तेलशोधक कारखानों एवं पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्सों का जोखिम निर्धारण
प्रोब्स / 134 / 2009	पेट्रोकेमिकल संयंत्रों हेतु राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों का विकास
प्रोब्स / 135 / 2009	फ्लोरेसेन्ट लैम्प सेक्टर में पर्यावरण अनुकूल मरकरी हेतु तकनीकी दिशा–निर्देश

cpcb

PARIVESH BHAWAN, CPCB HEAD OFFICE

Central Pollution Control Board,
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar,
Shahdara, Delhi -110 032
Tel. 011-43102030
Telefax- 22305793/22307078/22301932/22304948
e-mail : cpcb@nic.in Web: cpcb.nic.in

Zonal Offices of Central Pollution Control Board

BANGLORE
1st and 2nd Floors, Nisarga Bhavan,
A-Block, Thimmaih Main Road, 7th D Cross,
Shivanagar, Opp. Pushpanjali Theatre,
Banglore - 560 010
Tel. 080-23333827 (O) 080-23333739/
23233827/23233996 Fax- 080-23234095

BHOPAL
3rd Floor, Shakar Bhawan,
North TT Nagar,
Bhopal - 462 003
Tel. 0755-2775587 (O)
2775385/86 (EPABX)
Fax - 0755-2775587

KOLKATA
Southernd Conclave
Block 502, 5th & 6th Floors,
582 Rajdanga, Main Road,
Kolkata - 700 107
Tel. 033-24416332 (Direct)/24414269/
4677/6003/6634 Fax - 033-24416725

LUCKNOW
Ground Floor, PICUP Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Tel. 0522-4087601/2721915/16
0522-4087600 (EPABX)
Fax 0522-2721891

SHILLONG
TUM-SIR Lower Motinagar,
Near Fire Brigade H.Q.
Shillong - 793 014
Tel. 0364-2520923/2522859
Fax 0364-2520805

VADODARA
Parivesh Bhawan
Opp. VMC Ward Office No. 10,
Subhanpura, Vadodara - 390 023
Tel. 0265-2283226/ 2283245
Fax 0265-2283294

AGRA PROJECT OFFICE
4, Dholpur House,
M.G. Road,
Agra - 282 001
Tel. 0562-2421548
Fax 0562-2421566

A Clean PARIVESH for all is our goal